बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्याः 15/औ०–01–29/2026–................/स्वा० पटना, दिनांक–

सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय के पत्रांक–163, दिनांक– 12.06.2026 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–27.05.2026 को प्रातः–03:00 बजे पुलिस प्रशासन लखीसराय द्वारा जब्त संदिग्ध वाहन (पिकअप वैन) में पायी गयी औषधियों की जॉच श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, पटना) द्वारा दो अन्य औषधि निरीक्षकों के सहयोग से किया गया। जॉच कार्य सम्पन्न होने के उपरांत श्री दीपक के द्वारा जॉच प्रतिवेदन न तो किसी वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया तथा न हीं नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की गयी। श्री दीपक का यह कृत्य सरकारी कार्यो/पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, मनमानेपन्न, कर्तव्यहीनता एवं अभियुक्तो को अनुचित लाभ पहूँचाने का द्योतक/परिचायक है। इस संबंध में श्री दीपक के विरूद्ध सुसगत धाराओं के तहत् रामगढचौक (लखीसराय) थाना में प्राथमिकी (संख्या–118/26, दिनांक–17.06.2026) भी दर्ज किया गया है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपो की गम्भीरता के मद्देनजर श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1)(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री दीपक का मुख्यालय उप **औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन का कार्यालय तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर** निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इन्हे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के आलोक में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री दीपक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – **15/औ०–01–29/2026 –** 602(15A)/स्वा० **पटना/ दिनांक –** 03/07/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Desktop/Drug -1

प्रतिलिपि राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, लखीसराय/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप औषधि नियंत्रक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/उप औषधि नियंत्रक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

/

Desktop/Drug -1